न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 23 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. ऊंकार पिता उदा जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. चतरलाल पिता उदा जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जयकिशन पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. मदन पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. गणेश पिता रूपा जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. चुनिया उर्फ चुन्नीलाल पिता हुकमीचन्द जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. शिवलाल पिता उदा जी ब्राहमण, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
30.04.2012 प्रकरण संख्या 194 / 2008

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक रे. सं. 1, 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 03–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मदार, तहसील गिर्वा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 1550, 1721, 1984 से 1986, 2311, 2403, 2406, 2407, 3111, 3115, 3116, 3842, 3907, 3908, 4563 से 4566, 5091 से 5054, 5100 से 5107, 5210 कुल किता 32 रकबा 1.7400 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्याद 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी अधिपत्य की होकर उक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादी उक्त भूमि बेचना पर उतारू है, जबकि कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–02–2010 को वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30–04–2012 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–04–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आमेटा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में नया बंटवारा प्रस्ताव बनाकर पेश किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:30 IST
Reason: SelfAttested

जारी की है। दिनांक 16–04–2024 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2018 (1) Page 601, RBJ (30) 2023 Page 667 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। हालांकि अपील करीब 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में देरी के मामले में नरम रूख अपनाते हुए एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा संवत् 2008 में जो आपसी विभाजन किया गया है, पक्षकारान उसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। मौका पर्चा दिनांक 28–04–2011 में हस्ताक्षर होने के बाद कांट–छांट की गयी है। तहसीलदार द्वारा पूर्व में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में दिनांक 25–05–2011 बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में बेईमानी आ जाने से उक्त बंटवारे पर आपत्ति पेश की, जिस पर अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये एवं सुने एकपक्षीय बंटवारा रिपोर्ट तैयार पर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गयी तथा विभाजन में सिर्फ वादी का हिस्सा अलग किया गया है, शेष पक्षकारों का हिस्सा शामलाती रखा गया है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के कथनानुसार जो रिपोर्ट तैयार की गयी है वह वह बंटवारा नियम 18 से 21 के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 30–04–2012 निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (24) 2017 Page 299, RBJ (26) 2019 Page123, RBJ (26) 2019 Page 321 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–04–2012 को जारी अंतिम डिक्री की पालना में प्राप्त शेयर अनुसार पुनः बंटवारा होकर नामान्तरकरण हो चुका है। अपीलान्टगण के मौके पर नहीं आने से उनका हिस्सा पृथक नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30–04–2012 विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28–04–2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द बंटवारे में कांट–छांट की गयी है तथा उक्त फर्द बंटवारा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है तथा अपीलान्टगण की भूमि शामलाती रखी गयी है, उसका पृथक से विभाजन नहीं किया गया है, जो विभाजन नियम 18 से 21 के विपरीत है वह अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में त्रुटि पूर्ण है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री दिनांक 30–04–2012 प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30–04–2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–04–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 03–023–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:30 IST
Reason: SelfAttested